अपील

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A

Crim-1

आरब्धी०/रजिस्टर्ड 30/X/2019

क्र. आर221 8.11.19

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मंदिर श्री राधामुकनजी महाराज मगरी जरिये मेम्बर फ्रेन्ड्स । शिवचन्द पुत्र श्री जगन्नाथ जाट, नि० मगरी, तह० अजमेर वगैरा बनाम कैलाशचन्द पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण ब्राह्मण, नि० मगरी, तह० अजमेर हाल नि० आजादनगर, पानी की टंकी के पास, किशनगढ़ तह० किशनगढ़ वगैरा

किस्म मुकदमा 225 राज० काश्त० अधि० नम्बर 412/2019 सन् 20 (अजमेर)

2019/00412 (मगरी-चकला भागवान)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए

श्री भींयाराम चौधरी, एड० अपी० श्री

30/X/19

यह अपील श्री भींयाराम चौधरी एड़वोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के आदेश दिनांक 12.09.2019, प्रकरण संख्या 38/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। प्रार्थना पत्र स्थगन एवं अपील पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि अप्रार्थीगण पुजारीगण वर्तमान में मगरी गॉव छोड़कर अन्यत्र जाकर बस गये तथा मंदिर की सेवा पूजा भोग आदि का काम भी नहीं कर रहे है फिर भी गलत इन्द्राज का लाभ उठाकर मंदिर वाद के हक हकूको के विपरीत आचरण कर भूमि को हस्तातंरण व खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। मंदिर की भूमि का बेजा लाभ उठाकर रहे है जिनको इस तरह का कृत्य करने का अधिकार नहीं है। उन्हे जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया। वादग्रस्त आराजी भूमि मंदिर श्री राधामुकनजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की होकर मंदिर श्री राधामुकन जी सेवा पूजा भोग आदि के लिए उपयोग–उपभोग में ली जा रही है। रेस्पोडेन्टस पुजारियों को वाद वर्णित भूमि का खातेदारी इन्द्राज मूलतः धारा 46 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध दर्ज किये गये है। रेस्पोडेन्टस को वाद वर्णित भूमि पर कोई हक अधिकार हासिल नही होते हुए गलत इन्द्राज का फायदा उठा कर वाद वर्णित मंदिर की भूमि को रहन, बय व मुन्तकिल करने पर आमादा है तथा भूमि पर अन्य ऐजेन्ट अतिक्रमण करने पर आमादा है ऐसी स्थिति में वाद वर्णित भूमि का वाद के निर्णय तक मंदिर के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें व भूमि को रहन, बय व मुन्तकिल करने से पाबंद फरमाया जावें। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू अपीलांट के पक्ष में निहित है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील वर्किंग जमाबंदी सम्पत 2071 से 2074 के पुराना खाता संख्या 183, नया 183 के आराजी खसरा नम्बर 266, 275, 280, 301, 307 रकबा 1.86 है0 एवं इसी पुराना खाता संख्या 24 नया 24 के आराजी खसरा नम्बर 265, 274, 275/736, 277, 279, 280/789, 295, 298, 299 व 300 कुल किता 12 कुल रकबा 3.59 है0 वाकै ग्राम मगरी तहसील अजमेर को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने एवं विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें अथवा अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अपील के निर्णय या धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के अंतिम निर्णय तक रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी फरमावें कि विवादित आराजी को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करने एवं विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें। ....

निरन्तर -----

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

412/2019/225 मंदिर श्री राधामुकुन्द जी महाराज मार्फत ... V/S कैलाशचन्द व अन्य

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/00412	
	श्री भीमाराम चौधरी, एड० अपील श्री	
निस्तार-----	अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकार्ड अवलोकन से जाहिर है कि उभयपक्षों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी यथास्थिति के आदेश से संरक्षित किया जाना न्यायसंगत है। चूँकि अपीलांटस/वादीगण ने अपने वाद पत्र में भी विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्व नक्शें, जमाबंदी अनुसार बंटवारा हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसका निस्तारण बाद साक्ष्य व सुनवाई होना है इसलिए न्यायहित में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विवादित आराजी के भौतिक स्थिति एवं राजस्व अभिलेख को यथावत् रखा जाना न्यायहित में उचित है। अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 60 दिवस में करें तब तक उभयपक्षकारान विवादित आराजी खसरा नम्बर 28 रकबा 02–09–10 बीघा, खसरा नम्बर 37 रकबा 00–19–00 बीघा, खसरा नम्बर 39 रकबा 00–04–10 बीघा वाकै ग्राम रोहिड़ाखेड़ा तहसील ब्यावर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण हो जाने पर न्यायालय हाजा को आदेश निष्प्रभावी रहेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

4121/19/225 मंदिर श्री राधामुरलीधरजी वास्ते कैलाशलाल वगै. महारथ गैराती

2019/0412

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ओमप्रकाशगवलोतवगैरह श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
8/11/19	मेरे ध्यान में लाया गया कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 30.10.2019 के आदेश के पृष्ठ संख्या 02 पर सहवन से टंकण त्रुटि की वजह से न्यायालय हाजा का अन्य आदेश टंकित हो गया हैं इसलिए उक्त आदेश में दुरूस्ती करने के लिए पत्रावली सोमोटो तलब की गई है। दिनांक 30.10.2019 को पारित आदेश में टंकण त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर पृष्ट संख्या 02 में निम्नानुसार संशोधित जाता है। अतः संशोधित आदेश दिये जाते है कि :– अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 12.09.2019 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह अपील अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर के द्वारा जारी अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 12.9.2019 विरूद्ध पेश की हैं। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.09.2019 को अप्रार्थीगण को जारी नोटिस करने के आदेश देते हुए आगामी पेशी दिनांक 24.10.2019 नियत की है। चुंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर विचाराधीन हैं और प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी होनी शेष हैं तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं। अभिभाषक अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो वर्तमान में तलबी नोटिस अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नियत हैं। अपील में अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस की तलबी में समय व्यय होगा एवं अपील न्यायालय हाजा में पोषणीय नहीं हैं। पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रकरण विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट (अस्थायी निषेधाज्ञा) का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** 8/11/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	